

जाता है। अतः सायल का अपने हक-हिरसे तक सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में निहित होना साबित होता है। अतः यह बिंदू भी सायल के पक्ष में साबित होता है।

3. अपूरणीय क्षति:- प्रथम दोनों बिंदू सायल के पक्ष में साबित हुए हैं। साथ ही सायल द्वारा भू-अभिलेख में अपना नाम दर्ज होने का फायदा उठाकर पैतृक पुश्तैनी वादग्रस्त आराजी का किसी अन्य को रहन बेचना हस्तांतरित करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इससे प्रकरण में अनावश्यक जटिलता बढ़ेगी एवं सायल को सुगम न्याय निर्णयन में अहितकारी विलंब एवं जटिलता का सामना करना पड़ेगा। गैरसायलान द्वारा सायल के हस्तगत प्रार्थना-पत्र में वर्णनानुसार अपने हक-अधिकार की आराजी का किसी अन्य को हस्तांतरण करने से उसे अधिक असुविधा होगी। इस प्रकार यदि सायल के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की गई तो सायल को अपूरणीय क्षति कारित होगी।

अतः उपर्युक्त बिंदुवार विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि हस्तगत प्रकरण में मूल वाद के निस्तारण तक गैरसायलान को वादग्रस्त आराजी का रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करने तथा वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने व वर्तमान भू-अभिलेख में परिवर्तन नहीं करने हेतु पाबंद किया जाना उचित एवं आवश्यक समझते हैं।

--: आदेश ::--

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना-पत्र प्रार्थी अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित हों एवं सारवान हों से स्वीकार किया जाता है। गैरसायलान को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा आगेवा पटवार हल्का आगेवा आगेवा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आगेवा तहसील जैतारण जिला ब्यावर राजस्थान में खसरा नम्बर 329 रकबा 10-02 बीघा किरम बारानी अब्दल की कृषि भूमि स्थित है में रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करें तथा वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे व वर्तमान भू-अभिलेख में परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर जमा हो।



सहायक सहायक कलक्टर
(प्रा. (प्रॉस्ट) ट्रेकिंग), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक सहायक कलक्टर
(प्रा. (प्रॉस्ट) ट्रेकिंग), जैतारण
जिला-ब्यावर (राज0)